

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 127/2021 (धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन)
आवास फाईनेन्सर्स लि. (पूर्व नाम एसू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजिकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर
साउथेड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. ब्रजलाल पुत्र श्री मोती राम
.निवासी बलाईयों का मोहल्ला, तुर्कया बास, बधाल, जयपुर एवं
प्लाट नम्बर 45, सुखीजा विहार विस्तार, गांव शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री ब्रजलाल
निवासी बलाईयों का मोहल्ला, तुर्कया बास, बधाल, जयपुर ।
3. सीताराम वर्मा पुत्र श्री मोती लाल वर्मा
प्लाट नम्बर 21, गणेशपुरी कालोनी, कान जी का रास्ता, कल्याणपुरा, सांगानेर बजार, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री भवानी सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।


आदेश


दिनांक: 30.09.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.07.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी ब्रजलाल पुत्र श्री मोती लाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 45, सुखीजा विहार विस्तार, गांव शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 18,00,000 /-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.11.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

मजिस्ट्रेट
जयपुर

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गोर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गलीगालि अवलोकन किया गया ।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 के क्रम संख्या 6 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 18,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है । अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गय ब्याज कुल राशि 18,91,259/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.11.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है । प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है ।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी ब्रजलाल पुत्र श्री मोती लाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 45, सुखीजा विहार विस्तार, गांव शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें । आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।
8. आदेश आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।




 (अन्तर सिंह नेहरू)
जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर